8/6/18

पत्रावली आज व्यय आलेख पर हेतु अभियुक्त में पेश हुई मजरे आज में प्रकरण की नामजदगी की गई केवल यह अवलोकन किया। उप तहसीलदार मौलकार की रिपोर्ट प्राप्त है। उप तहसीलदार मौलाकार की रिपोर्ट अनुसार सलाम अधिनियम में खसरा नं 96 मौ० पु० रास्ता दर्ज है। मौ० पु० रास्ता की खातेदारी नहीं की जा सकती। चूंकि उक्त मार्ग की किस्म गै० मु० रास्ता है। जो प्रतिबन्धित श्रेणी की किस्म है जिसकी खातेदारी किसी अन्य व्यक्ति / खातेदार की नहीं की जा सकती। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner